

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 170/25-

तारीख दायर 20/6/25

- 1- बालु पुत्र श्रीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थी

बनाम

- 1- रमेश पुत्र बालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- शम्भुलाल पुत्र बालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- भु-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 रा0ले0रे0 एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक :- 14/7/25

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री बालु धाकड़ ने जरिये अभिभाषक ओमप्रकाश शर्मा, हर्षवर्धन शर्मा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम फतहनगर पटवार क्षेत्र नयानगर भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 107 आराजी नंबर 256/1, 257/1, 258/1 कुल किता 03 रकबा 0.3804 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पड़ोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम फतहनगर पटवार क्षेत्र नयानगर भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 107 आराजी नंबर 256/1, 257/1, 258/1 कुल किता 03 रकबा 0.3804 हैक्टेयर भूमि की बशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोश में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 170/25

तारीख दायर - 20/6/25

प्रेषित :-

तहसीलदार  
बिजौलियों

फैरत :- 14/7/25

विषय :- प्रकरण संख्या ..... 170/25 ..... प्रत्थरगढी बाबत।

1- बालु पुत्र श्रीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी फतहनगर तहसील  
बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थी

बनाम

- 1- रमेश पुत्र बालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी फतहनगर तहसील बिजौलियों  
जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- शम्भुलाल पुत्र बालु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी फतहनगर तहसील  
बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- भू-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियों तहसील बिजौलियों जिला  
भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम फतहनगर पटवार क्षेत्र नयानगर भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया तहसील बिजौलियों में स्थित खाता संख्या 107 आराजी नंबर 256/1, 257/1, 258/1 कुल किता 03 रकबा 0.3804 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त मोके पर प्रार्थीया अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सूचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियों